निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 71 / 2019 तारीख दायरा 04.09.2019

उनवान

बिरधीबाई पत्नी रामनारायण जाति माली निवासीग्राम नयापुरा तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—वादिनी

बनाम

1. श्रीमती घीसीबाई पुत्री भैरूलाल जाति माली निवासी नयापुरा तह. सांगोद।
2. चम्पाबाई पुत्री भैरूलाल ,जाति माली निवासी नयापुरा तह. सांगोद।
3. ललताबाई पुत्री भैरूलाल जाति माली निवासी नयापुरा तह. सांगोद।
4. सीताराम पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासीगण ग्राम नयापुरा तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 48,88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील वादी) दिनांक :— 24.02.2021

श्री मोहम्मद अशफाक (वकील प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादिनी के कब्जे काश्त व खाते की आराजी माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं0 नई 120 खसरा सं0 425 की 0.28 है. आराजी स्थित है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के कब्जे खाते की आराजी ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तह0 सांगोद जिला कोटा की खाता सं0 नई 223 के खसरा सं0 142 की

वादिनी ने विनिमय सम्पत्ति ग्राम नयापुरा तह0 सांगोद की खसरा सं0 425 की 0.28 है. आराजी को आज से 15 वर्ष पूर्व ही प्रतिवादी क्र. 1 ता 4 की ग्राम नयापुरा की खसरा सं0 630 की 0.30 है. आराजी को आपस मे विनिमय कर कब्जा प्रतिवादी 1 ता 4 को संभ्लाया हुआ है तथा प्रतिवादी सं0 1ता 4 ने अपने खाते की आराजी खसरा सं0 635 की 0.30 है. का कब्जा वादिनी को सम्भलाया हुआ है। उक्त विनिमय करने में दोनो पक्षकारों द्वारा किसी प्रकार की राशि का लेन देन नहीं हुआ है, केवल मात्र आराजी को काश्त करने की द्वष्टि से एक चक होने तथा विकास कराने में सुविधा होने से उक्त विनिमय किया गया है अर्थात बिना प्रतिफल के विनिमय किया गया है साथ ही विनिमय आराजी का मूल्य भी बराबर है ।

पक्षकारान ने अपने खाते की आराजी का एक दुसरे को कब्जा संभ्लाकर विनिमय कर अपने खातो को एक चक करने के लिए किया गया है। खसरा सं0 635 रकबा 0.30 है. पक्षकार सं01 के पति के खाते की आराजी खाता सं0 192 की खसरा सं0 634 की 0.30 है. से एक चक होने से विनिमय किया गया है जिससे पक्षकारान को आराजी काश्त करने व विकास कार्य करने के लिए विनिमय किया है, इसी प्रकार प्रतिवादी सं 1 ता 4 की आराजी के लगवा वादिनी के खाते की आराजी खसरा सं0 425 की 0.28 है. एक चक होने से प्रतिवादी नं0 1 ता 4 द्वारा विनिमय किया गया है जिसका विनिमय पत्र भी तहरीर किया गया है।

वादिनी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा 15 वर्ष पूर्व किये गये विनिमय पत्र के आधार पर आराजी के विनिमय पत्र का पंजीयन कराने की अनुमति के लिए तहसीलदार सांगोद प्रतिवादी सं.5 के यहॉ दिनांक 17.06.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी सं0 5 द्वारा उक्त आराजी के विनिमय की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई, ऐसी दशा में वादिनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उक्त विनिमय की गई आराजी की अपने हक मे घोषणा करावे, जिसके लिए प्रस्तुत वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद कारण दिनांक 17.06.2019 को प्रार्थना पत्र तहसीलदार सांगोद के यहॉ प्रस्तुत करने व उन द्वारा विनिमय स्वीकृति प्रदान नहीं करने से न्यायालय के श्रवणाधिकार श्रेत्राधिकार में उत्पन्न हु है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में वि आशय की विनिमय, घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें कि–

वादिनी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने अपने अपने खाते के काश्त की आराजी का आ वर्ष पूर्व आपसी सहमती से बिना कोई प्रतिफल प्राप्त किये बगैर आराजी का विनिमय व खाते की आराजी ग्राम न

कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं0 नई 120 खसरा सं0 425 की 0.28 है. आराजी का प्रतिवादी नं0 1 ता 4 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री मोहम्मद अशफाक द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत करने के कारण वाद में तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी सं.5 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसके तथ्य निम्न प्रकार है–

माल ग्राम नयापुरा की जामबंदी के खाता सं. 120 के ख.न. 425 की 0.28 है. भूमि खातेदार बिरधीबाई पत्नि रामनारायण जाति माली सा.देह दर्ज है। खाता सं. 223 में ख.न. 142 की 0.04 है., ख.न. 163 की 0.01 है., ख.न. 175 की 0.01 है., ख.न. 186 की 0.05 है., ख.न. 198 की 0.05 है., ख.न. 202 की 0.02 है., ख.न. 417 की 0.97 है., 531 की 1.76 है. व खसरा सं. 635 की 0.30 है. कुल 9 किता की 3.21 है. आराजी खातेदार सीताराम पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/4, घींसीबाई पुत्री भैरूलाल हिस्सा 1/4, चम्पाबाई पुत्री भैरूलाल हिस्सा 1/4, ललता बाई पुत्री भैरूलाल हिस्सा 1/4 जाति माली सा.देह दर्ज रिकार्ड है। ख.न. 425 की 0.28 है. भूमि की मुख्य सडक से दूरी 668 मी. तथा ख.न. 635 की 0.30 है. की मुख्य सडक से दूरी 814 मी. है। वादिनी के पति की आराजी ख.न. 634, प्रतिवादीगण की आराजी ख.न. 635 से लगवा है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड, जवाब सरकार, जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन करने प उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का व स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तह0 सांगोद जिला कोटा की जामबंदी खाता सं0 नई 223 के खसरा सं0 635 की 0.30 है. आराजी का वादिनी को खातेदार कृ घोषित किया जाता है तथा माल ग्राम नया[illegible] जमाबंदी के खाता सं. 120 के ख.न. 425 0.28 है. आराजी का प्रतिवादी [illegible] घोषित किया जाता है। उक्त घो के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिका[illegible] अमल दरामद किया जावें। विवादित आराज रहनभार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested